परियोजना-16

प्रादेशिक कवि सम्मेलन/विचार गोष्ठी

(सरकार के पत्र संख्या-क (3) 10/80 दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा अनुमोदित)

1 भूमिका :

प्रदेश में विभिन्न जिलों के प्रतिष्ठित कवियों, साहित्यकारों और नई प्रतिभा के कवियों/साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु समय-समय पर कवि सम्मेलन/लेखक गोष्ठी आयोजित करवाई जानी आवश्यक है इसलिए यह परियोजना बनाई जा रही है ।

2 उद्देश्य :

1 साहित्यकारों को मंच प्रदान करना ।
2 साहित्य का प्रचार-प्रसार ।
3 विभिन्न साहित्यकारों द्वारा विचारों का अदान-प्रदान करना ।
4 नई प्रतिभा को प्रोत्साहन देना ।

3 प्रक्रिया:

1 विभाग समय-समय पर ऐसे सम्मेलन आयोजित करेगा ।
2 इन सम्मेलनों/गोष्ठियों में प्रतिष्ठित तथा नई प्रतिभा के साहित्यकारों को आमन्त्रित किया जायेगा ।
3 निमंत्रण देने में निदेशक भाषा एवं संस्कृति सक्षम होंगे ।
4 एक सम्मेलन में भाग लेने वाले साहित्यकारों को दो माह की अवधि के भीतर होने वाले सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जायेगा ।
5 यदि दो माह के भीतर ही, कारणवश उसी साहित्यकार को सम्मेलन में बुलाया जाएगा, उसके लिए लिखित कारण देकर उसे बुलाने में सक्षम होंगे ।
6 दो माह की अवधि अकादमी अथवा विभाग दोनों के कार्यक्रम से गिनी जायेगी ।

4 धन राशि :

1 आमन्त्रित कवि को प्रथम श्रेणी रेल अथवा डीलक्स बस के तीन किराए दिये जायेंगे ।
2 यह किराये विभाग में उपलब्ध पते से सम्मेलन स्थल तक दिये जायेंगे ।
3 ठहरने की व्यवस्था, विभाग द्वारा निशुल्क की जायेगी ।
4 आमन्त्रित साहित्यकार को 30/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जलपान राशि दी जायेगी ।
5 नई प्रतिभा वाले साहित्यकारों/कवियों को पारिश्रमिक 50/- रुपये और प्रतिष्ठित साहित्यकारों/कवियों को 100/- रुपये दिया जायेगा ।
6 नई प्रतिभा वाला साहित्यकार, विभाग द्वारा आयोजित चार आयोजनों में भाग ले चुकने के बाद प्रतिष्ठित श्रेणी मे माना जायेगा ।
7 प्रत्येक साहित्यकार को अपनी रचना विभाग को देनी होगी जिसे विभाग चाहे तो पुस्तक के रुप में छपवा सकेगा । इसके लिए अलग से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा ।